भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3778**

जिसका उत्तर 25.03.2026 को दिया जाना है

**उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं**

3778. श्री महेंद्र भट्टः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एनएच-135सी जैसी अधूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कोई विशेष समयबद्ध योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए यातायात सघनता, सड़क की स्थिति और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य किए जाते हैं।

सरकार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों और ठेकेदारों/विकासकर्ताओं (डेवलपरों) के साथ अधिक समन्वय में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करती है। विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और ठेकेदारों/डेवलपरों के पास उपलब्ध निधियों में नगदी राशि बढ़ाने और प्रगति में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना में विलंब होने से बचने या देरी कम करने के लिए विभिन्न पहलें की जाती हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित करना, रेलवे सड़क ऊपरि पुल (आरओबी) / सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) का ऑनलाइन अनुमोदन, विवाद समाधान तंत्र का पुनर्गठन, प्रीमियम का पुनर्निर्धारण, एकबारगी निधि निवेश (इनफ्यूजन) आदि शामिल हैं। परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर सहयोग और सहायता प्रार्थित होती है।

ठेकेदारों/रियायतग्राहियों की ओर से जहां भी चूक होती है, वहां विलंब, कमियों/क्षति के मामलों में अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार दोषी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिसमें अनुबंध को समाप्त करना, जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाना, प्रतिबंधित करना/ब्लैकलिस्ट करना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि शामिल है।

पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एनएच सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के आपदा रोधी अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए भूस्खलन से निपटने के विशेष उपायों हेतु टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

ii. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए किफायती दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था।

iii. पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सड़क निर्माण कार्यों से पहले ढलान काटने और स्थिरीकरण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। खंड- वार सुरक्षा उपाय पूरे होने पर ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।

iv. राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू-खतरों के शमन उपायों के तकनीकी सहयोग हेतु रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

v. सुरंगों की भूवैज्ञानिक जांच और भू-खतरों के अध्ययन के लिए डेटा साझा करने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

vi. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के लिए राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- सुरंग परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं आदि के लिए भू-तकनीकी जांच पड़ताल।
- डीपीआर/निर्माण चरण के दौरान सुरंग के डिजाइन और रेखाचित्रों (ड्राइंग) की समीक्षा/प्रूफ चेक करना।
- उपकरणों और निगरानी उपकरणों की पर्याप्तता की जांच, सुरंग सुरक्षा ऑडिट,
- कार्य पैकेज के लिए शिला यांत्रिकी और शिला इंजीनियरिंग पर आधारित वैज्ञानिक जांच का निरूपण,
- अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण देना।

vii. शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समकक्ष समीक्षा हेतु एनआईआरएम के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

viii. पर्वतीय ढलानों की अस्थिरता के आकलन के लिए, उपकरण का उपयोग करते हुए और वास्तविक समय की निगरानी के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक अनुसंधान योजना के लिए आईआईटी रुड़की को वित्त पोषण के माध्यम से पहल की गई है; उत्तराखंड के चारधाम तीर्थयात्रा मार्ग के 100 किलोमीटर लंबे खंड के साथ इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार (इनसार)

आधारित भूस्खलन निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अलग से हस्ताक्षर किए गए हैं।

ix. सड़क निर्माण से पहले ढलान की कटाई और स्थिरीकरण का अनिवार्य कार्य पूरा किया जाना चाहिए; खंड-वार सुरक्षा उपाय कार्यान्वित करने पर ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

x. पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अतिरिक्त संवर्धित और सुव्यवस्थित सुधारात्मक उपायों पर 7 नवंबर 2025 को जारी नीति और डीपीआर/इंजिनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) के लिए आरएफपी में संशोधन का उद्देश्य है:-

क) डीपीआर की गुणवत्ता में सुधार करना

ख) ढलान की सुरक्षा और जल निकासी के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करना

ग) पहाड़ी इलाकों में निर्माण पद्धतियों को बेहतर बनाना

घ) निर्माण के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना

ङ) निगरानी और भूस्खलन की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना

इसमें निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सिद्धांत शामिल हैं:

क) संरेखण/मार्ग चयन और चौड़ीकरण प्रस्ताव

ख) अतिरिक्त मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) योजना बनाना

ग) कीचड़ निपटान के लिए कूड़ाघरों (डंपसाइटों) को चिह्नित करना

घ) ढलान संरक्षण और जल निकासी उपायों का डिजाइन

ङ) बेहतर निर्माण पद्धतियां और निर्माण के बाद का रखरखाव।

एनएच-135सी उत्तराखंड राज्य से नहीं गुजरता है। एनएच-135सी प्रयागराज के निकट एनएच-35 के जंक्शन से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश में कोरांव, द्रुमनोडगंज, हलिया, अवधादम, पिपरा, मणिगढ़ा, करौंदिया, बगदरा, चितरंगी, सिंगरौली को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश राज्य में वैधान के निकट एनएच-39 के जंक्शन पर समाप्त होता है।

*****